

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

|    |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ) | 18 | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला छतरपुर के अंतर्गत वनमंडल छतरपुर के वनखण्ड गठेवरा के वन कक्षा क्रमांक पी-636 का रकबा 45.278 हेक्टेयर वनभूमि तेंदुआ नाला बांध परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

दिनांक: 22.05.2019

स्थान: भोपाल



(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)